

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 14 जुलाई, 2010 / आषाढ़ 23, 1932 (शक)

संख्या-86

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त आयुक्त पुलिस, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत प्रथम बैरीकेड, पुलिस थाना संसद मार्ग के सामने से दिनांक 10.07.2010 को अपराहन 13.10 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनांक 10.07.2010 अपराहन 13.20 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन.मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 14 July 2010/ Ashadh 23, 1932(Saka)

No.86

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi Distt. NewDelhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Shri Shoaib Iqbal was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from first barricade in front of the Police Station, Parliament Street, New Delhi at 1310 hours on 10.07.2010.

He was released at 1320 hours on the same day.”

P.N. Mishra
Secretary